(To be published in Part IV of Delhi Gazette Extraordinary)

Government of National Capital Territory of Delhi
Department of Social Welfare
G. L. N. S. Complex, Delhi Gate, New Delhi

No. F 41 (22)/DSW/FAS/Sch. Amend/09-10/2004-2015 **Dated:** the 18-10-2011

NOTIFICATION

No. F 41 (22)/DSW/FAS/Sch. Amend/09-10/:- The Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to amend the Old Age Assistance Rules, 2009 as published in the Delhi Gazette vide Notification no. No. F 41 (21)/DSW/FAS/Sch. Amend/09-10/1892-1904 dated November 4, 2009, as following, namely:-

(1) Short Title and Commencement:

(a) These rules may be called. The Old Age Assistance (Amendment) Rules, 2011.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

(2) Amendment of Rule 3 (c):

In the Old Age Assistance Rules, 2009, for rule 3 (c), the following shall be substituted, namely-

3 (c) "Family" means wife/husband, minor children, disabled children, unmarried, or divorced/separated daughters/sisters, parents who are solely dependent on the applicant.

(3) Amendment of Rule 6:

In the Old Age Assistance Rules, 2009, for rule 6, the following shall be substituted, namely-

6. Verification and sanction of assistance: The District Social Welfare Officer shall be the competent authority for getting the verification done and sanction of payment of allowance. The Competent Authority may satisfy him/herself about the contents of the application by screening the documents submitted and get physical verification done only in doubtful cases. In five percent of all sanctioned cases for the period, the Competent Authority shall have a random test check done by getting the physical verification conducted through the departmental investigators or other officials or Anganwadi Workers or any other agency especially deputed/identified for the purpose.

By order and in the name of
The Lt. Governor of the NCT of Delhi

(Sanjiv Kumar)
Secretary, Social Welfare & Women & Child Development

No. F 41 (22)/DSW/FAS/Sch. Amend/09-10/2004-2015 **Dated: the 18.10.2011**

Copy forwarded for information to:-

1. Secretary to the Lt. Governor of Govt. of NCT of Delhi
2. Secretary to the Chief Minister of Govt. of NCT of Delhi
3. Secretary to the Speaker of Delhi Legislative Assembly, Delhi
4. Secretary to the Dy. Speaker of Delhi Legislative Assembly, Delhi
5. Secretary to the Minister of Food & Supply, Govt. of NCT of Delhi
6. Secretary to the Minister- Finance, Govt. of NCT of Delhi
7. Secretary to the Minister Industries, Govt. of NCT of Delhi
8. Secretary to the Minister Education, Govt. of NCT of Delhi
9. Secretary to the Minister Health, Social Welfare & Women & Child Development, Govt. of NCT of Delhi
10. Secretary to the Minister Urban Development, Govt. of NCT of Delhi
11. Private Secretary to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi

(Sanjiv Kumar)
Secretary, Social Welfare & Women & Child Development

(दिल्ली राजपत्र भाग–चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
समाज कल्याण विभाग
राजकीय लेडी नौएसी स्कूल परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली–2.

41(22)/डीएसडब्ल्यू/एफएएस/स्कू0 संशोधन/09–10/2004–15 दिनांकः 18-10-11

अधिसूचना

41(22)/डीएसडब्ल्यू/एफएएस/स्कू0 संशोधन/09–10/ .–दिल्ली राजपत्र में दिनांक 4 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या फाईल 41(21)/डीएसडब्ल्यू/एफएएस/स्कू0 संशोधन/09–10/1892–1904 के अनुसार यथा प्रकाशित वृद्धावस्था सहायता नियमावली, 2009 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–**

(क) इन नियमों को वृद्धावस्था सहायता (संशोधन) नियमावली, 2011 कहा जाये।
(ख) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **नियम 3 (ग) का संशोधन :–**

वृद्धावस्था सहायता नियमावली, 2009 के नियम 3 (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

3 (ग) "परिवार" का अर्थ पत्नी/पति, अवयस्क बच्चे, विकलांग बच्चे, अविवाहित अथवा परित्यक्त/पृथक्कृत पुत्रियाँ/बहने, माता–पिता जो कि आवेदक पर पूर्णतः आश्रित हैं, से है।

3. **नियम 6 का संशोधन :–**

वृद्धावस्था सहायता नियमावली, 2009 के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् –

6. **सहायता का सत्यापन एवं स्वीकृतिः** – जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यापन करने तथा भत्ते के भुगतान की संस्वीकृति के लिये सक्षम प्राधिकारी होंगे। सक्षम प्राधिकारी दस्तावेजों की जाँच पड़ताल के द्वारा जमा आवेदन पत्र की विषय वस्तु के संदर्भ में स्वयं संतुष्ट होंगे एवं केवल संदेहास्पद मामलों में ही वास्तविक सत्यापन कराएंगे। अवधि के लिये समस्त स्वीकृत मामलों के पांच प्रतिशत मामलों में सक्षम प्राधिकारी विभागीय अन्वेषकों या अन्य कर्मचारियों या आंगनवाड़ी कर्मचारियों या इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से तैनात/चिन्हित किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से किये गये वास्तविक सत्यापन का औचक निरीक्षण करायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम पर,

संजीव कुमार

(संजीव कुमार)
सचिव, समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास

D:\My Documents\NOTIFICATION-SOCIAL WELFARE DEPTT-NOTIFICATION.doc

सं०फा० 41(22)/डीएसडब्ल्यू/एफएएस/स्कू० संशोधन/09–10/2004–15 दिनांक: 18-10-11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ अग्रसारित :–

1. सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, अध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, दिल्ली।
4. सचिव, उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, दिल्ली।
5. सचिव, खाद्य एवं संभरण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, उद्योग मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. सचिव, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. सचिव, शहरी विकास मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

संजीव कुमार

(संजीव कुमार)
सचिव, समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास